

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर  
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 363/2022

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर- 2022/.....472

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बजाज हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी मुकेश मेघवंशी जिसका पंजीकृत कार्यालय- मुम्बई-पुणे रोड, अकुर्दी, पुणे, महाराष्ट्र-411035 तथा कॉरपोरेट ऑफिस-सेरीब्रम आईटी पार्क बी2 बिल्डिंग, पांचवी मंजिल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र-411014 एवं शाखा कार्यालय- तीसरी मंजिल, लैन्ड मार्क टॉवर, जय क्लब, सी-स्कीम, जयपुर 302001 (राज.) में स्थित व कार्यरत है।		1. ललित कुमावत 2. दौलत राम 3. नन्द लाल 4. पुष्पा देवी पता-169, खातीयों के बास का रास्ता, वार्ड नं. 15 तहसील कुचामन जिला नागौर-341509 (राज.)

आदेश

दिनांक: 23/11/2022

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 16,53,700/- (अक्षरे सोलह लाख त्रैपन हजार सात सौ रुपये मात्र) दिनांक 15.06.2019 व रुपये 9,55,133/- (अक्षरे नौ लाख पचपन हजार एक सौ तैतीस रुपये मात्र) दिनांक 15.06.2019 एवं रुपये 10,13,667/- (अक्षरे दस लाख तैरह हजार छः सौ सडसठ रुपये मात्र) दिनांक 09.07.2019 इस प्रकार कुल रुपये 36,22,500/- (अक्षरे छत्तीस लाख बाईस हजार पांच सौ रुपये) का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- अचल सम्पति पट्टा नं. 3298 बी आर खोखर स्कूल के पास, खसरा नं. 2060, हनुमान नगर, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान 341508 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 194.44 वर्गगज है, जो श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री नन्द लाल के नाम से है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.01.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 38,20,283/- (अक्षरे रुपये अडतीस लाख बीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) दिनांक 10.02.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते हैं।



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 28.02.2022 को रजिस्टर्ड दिये गये एवं उक्त नोटिसों का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 38,20,283/- (अक्षरे रूपये अड़तीस लाख बीस हजार दो सौ तिरासी मात्र) दिनांक 10.02.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 3298 बी आर खोखर स्कूल के पास, खसरा नं. 2060, हनुमान नगर, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान 341508 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 194.44 वर्गज है, जो श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री नन्द लाल के नाम से है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रूपये 16,53,700/- (अक्षरे सोलह लाख त्रैपन हजार सात सौ रूपये मात्र) दिनांक 15.06.2019 व रूपये 9,55,133/- (अक्षरे नौ लाख पचपन हजार एक सौ तैतीस रूपये मात्र) दिनांक 15.06.2019 एवं रूपये 10,13,667/- (अक्षरे दस लाख तैरह हजार छः सौ सडसठ रूपये मात्र) दिनांक 09.07.2019 इस प्रकार कुल रूपये 36,22,500/- (अक्षरे छत्तीस लाख बाईस हजार पांच सौ रूपये) का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला



जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 3298 बी आर खोखर स्कूल के पास, खसरा नं. 2060, हनुमान नगर, कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान 341508 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 194.44 वर्गगज है, जो श्रीमति पुष्पा देवी पत्नी श्री नन्द लाल के नाम से है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।  
आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर